



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032023-244345
CG-DL-E-13032023-244345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138]
No. 138]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 13, 2023/फाल्गुन 22, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 13, 2023/PHALGUNA 22, 1944

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2023

सा.का.नि. 177(अ).—केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 में,-

- (i) उप नियम (1) में, “लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी” शब्दों के पश्चात “या ऐसा संस्थान, जिसे केंद्रीय सरकार के परामर्श से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- (ii) उप नियम (2) में “लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी” शब्दों के पश्चात “या ऐसा संस्थान, जिसे केंद्रीय सरकार के परामर्श से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
3. उक्त नियमों में, नियम 6 के, उप नियम (2) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातः-
- “(क) निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी या ऐसे संस्थान का अध्यक्ष, जिसे केंद्रीय सरकार के परामर्श से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है, आधारभूत पाठ्यक्रम के अंत में होने वाली परीक्षा के परिणामों में प्रत्येक परिवीक्षाधीन को 470 के अधिकतम अंकों में ऐसे अंक प्रदान करेगा जो वह ठीक समझे।”
4. उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम (1) के खंड (ii) में “लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी” शब्दों के पश्चात “या ऐसा संस्थान, जिसे केंद्रीय सरकार के परामर्श से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
5. उक्त नियमों के नियम 11 के उप नियम (1) में “सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी” शब्दों के पश्चात “या ऐसा संस्थान, जिसे केंद्रीय सरकार के परामर्श से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
6. उक्त नियमों के नियम 14 में –
- (i) उप नियम (1) के खंड (क) में “लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी” शब्दों के पश्चात “या ऐसा संस्थान, जिसे केंद्रीय सरकार के परामर्श से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- (ii) उप नियम (2) में “लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी” शब्दों के पश्चात “या ऐसा संस्थान, जिसे केंद्रीय सरकार के परामर्श से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
- (iii) उप नियम (3) में “लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी” शब्दों के पश्चात “या ऐसा संस्थान, जिसे केंद्रीय सरकार के परामर्श से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 11058/02/2020-अ.भा.से.-III]

राम लखन, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (I) सा.का.नि. 152(अ) तारीख 8 सितंबर, 1954 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांको के द्वारा संशोधित किए गए थे।

(i)	सा.का.नि. 76,	दिनांक 20 जनवरी, 1962
(ii)	सा.का.नि. 164,	दिनांक 2 फरवरी, 1963
(iii)	सा.का.नि. 1164,	दिनांक 22 अगस्त, 1964

(iv)	सा.का.नि. 67,	दिनांक 21 जनवरी, 1967
(v)	सा.का.नि. 102,	दिनांक 28 जनवरी, 1967
(vi)	सा.का.नि. 945,	दिनांक 24 जून, 1967
(vii)	सा.का.नि. 1426,	दिनांक 03 अगस्त, 1968
(viii)	सा.का.नि. 1704,	दिनांक 21 सितम्बर, 1968
(ix)	सा.का.नि. 1882,	दिनांक 26 अक्टूबर, 1968
(x)	सा.का.नि. 1217,	दिनांक 24 मई, 1969
(xi)	सा.का.नि. 1986,	दिनांक 23 अगस्त, 1969
(xii)	सा.का.नि. 1248,	दिनांक 7 अक्टूबर, 1972
(xiii)	सा.का.नि. 387,	दिनांक 1 अप्रैल, 1972
(xiv)	सा.का.नि. 471,	दिनांक 18 मई, 1972
(xv)	सा.का.नि. 53,	दिनांक 16 जनवरी, 1975
(xvi)	सा.का.नि. 156,	दिनांक 7 फरवरी, 1972
(xvii)	सा.का.नि. 1360,	दिनांक 25 सितम्बर, 1976
(xviii)	सा.का.नि. 904,	दिनांक 26 जून, 1976
(xix)	सा.का.नि. 1019,	दिनांक 17 जुलाई, 1976
(xx)	सा.का.नि. 1305,	दिनांक 27 दिसम्बर, 1980
(xxi)	सा.का.नि. 454,	दिनांक 9 मई, 1981
(xxii)	सा.का.नि. 554,	दिनांक 30 जुलाई, 1983
(xxiii)	सा.का.नि. 279,	दिनांक 18 अप्रैल, 1987
(xxiv)	सा.का.नि. 638(अ.),	दिनांक 23 जून, 1989
(xxv)	सा.का.नि. 620,	दिनांक 30 नवम्बर, 1993
(xxvi)	सा.का.नि. 583,	दिनांक 27 नवम्बर, 1993
(xxvii)	सा.का.नि. 54,	दिनांक 12 जनवरी, 1994
(xxviii)	सा.का.नि. 414,	दिनांक 3 अप्रैल, 2000
(xxix)	सा.का.नि. 355,	दिनांक 14 सितम्बर, 2002 और
(xxx)	सा.का.नि. 380(अ.),	दिनांक 11 मई, 2011

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2023

G.S.R. 177(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the State Governments, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, namely :-

- 1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Indian Police Service (Probation) Amendment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 5,-
- (i) in sub-rule (1), after the words “the Lal Bahdur Shastri National Academy of Administration”, the words “or such institute as may be designated by the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in consultation with Central Government” shall be inserted;
- (ii) in sub-rule (2), after the words “the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration”, the words “or such institute as may be designated by the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in consultation with Central Government” shall be inserted.
3. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
- “(a) The Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration or the head of such institute as may be designated by the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in consultation with Central Government shall award to each probationer such marks out of a maximum of 470 marks as they may deem fit on the results of the examination held at the end of the Foundational Course”.
4. In the said rules, in rule 10, in sub-rule (1), in clause (ii), after the words the “Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration”, the words “or such institute as may be designated by the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in consultation with Central Government” shall be inserted.
5. In the said rules, in rule 11, in sub-rule (1), after the words “Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy”, the words “or such institute as may be designated by the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in consultation with Central Government” shall be inserted.
6. In the said rules, the rule 14,-
- (i) in sub-rule (1), in clause (a), after the words “the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration”, the words “or such institute as may be designated by the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in consultation with Central Government” shall be inserted;
- (ii) in sub-rule (2), after the words “the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration”, the words “or such institute as may be designated by the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in consultation with Central Government” shall be inserted;
- (iii) in sub-rule (3), after the words “the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration”, the words “or such institute as may be designated by the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in consultation with Central Government” shall be inserted.

[F. No. 11058/02/2020-AIS-III]

RAM LAKHAN, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G. S. R. 152(E) dated the 8th September, 1954 and subsequently amended, vide notification numbers,-

(i)	G. S. R. 76,	dated the 20 th January, 1962
(ii)	G. S. R. 164,	dated the 2 nd February, 1963;
(iii)	G. S. R. 1164,	dated the 22 nd August, 1964;
(iv)	G. S. R. 67,	dated the 21 st January, 1967;
(v)	G. S. R. 102,	dated the 28 th January, 1967;
(vi)	G. S. R. 945,	dated the 24 th June, 1967;
(vii)	G.S. R. 1426,	dated the 3 rd August, 1968;
(viii)	G. S. R. 1704,	dated the 21 st September, 1968;
(ix)	G. S. R. 1882,	dated the 26 th October, 1968;
(x)	G. S. R. 1217,	dated the 24 th May, 1969;
(xi)	G. S. R. 1986,	dated the 23 rd August, 1969;
(xii)	G. S. R. 1248,	dated the 7 th October, 1972;
(xiii)	G. S. R. 387,	dated the 1 st April, 1972;
(xiv)	G. S. R. 471,	dated the 18 th May, 1972;

(xv)	G. S. R. 53,	dated the 16 th January, 1975;
(xvi)	G. S. R. 156,	dated the 7 th February, 1972;
(xvii)	G. S. R. 1360,	dated the 25 th September, 1976;
(xviii)	G. S. R. 904,	dated the 26 th June, 1976;
(xix)	G. S. R. 1019,	dated the 17 th July, 1976;
(xx)	G. S. R. 1305,	dated the 27 th December, 1980;
(xxi)	G. S. R. 454,	dated the 9 th May, 1981;
(xxii)	G. S. R. 554,	dated the 30 th July, 1983;
(xxiii)	G. S. R. 279,	dated the 18 th April, 1987;
(xxiv)	G. S. R. 638(E),	dated the 23 rd June, 1989;
(xxv)	G. S. R. 620,	dated the 30 th November, 1993;
(xxvi)	G. S. R. 583,	dated the 27 th November, 1993;
(xxvii)	G. S. R. 54,	dated the 12 th January, 1994;
(xxviii)	G. S. R. 414,	dated the 3 rd April, 2000;
(xxix)	G. S. R. 355 ,	dated the 14 th September, 2002; and
(xxx)	G. S. R. 380(E),	dated the 11 th May, 2011.